ई-मेल

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या पी-1112/36-टी-27 (प्रो0एली0), लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2017

सेवा में,

1- वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

2- वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-"प्रोजेक्ट एलीफैन्ट" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा फ्लेक्सी फण्ड हेतु अनुमोदित तथा अवमुक्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगार्थ शासन द्वारा स्वीकृत रू0 3.38 लाख का बजट आवंटन।

संदर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या-2404/7-4(प्रो0एली0/फ्लेक्सी), दिनांक 07.03.2017.

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-"प्रोजेक्ट एलीफैन्ट" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पत्र संख्या-1-15/2009-पी0ई0, दिनांक 16.06.2016 द्वारा रू0 33.83 लाख की धनराशि 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में अनुमोदित करके अनुमन्य केन्द्रीय सहायता रू0 20.298 लाख के सापेक्ष विगत वर्ष की अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता रू0 6.124 लाख को समायोजित (पुनर्वैध) करते हुए रू0 14.174 लाख की केन्द्रीय सहायता अवमुक्त की गई है। इस प्रकार कुल (6.124+14.174)=रू0 20.298 लाख की केन्द्रीय सहायता व्यय हेतु उपलब्ध हो गई है। भारत सरकार ने अपनी पत्र संख्या-1-15/2009-पी0ई0, दिनांक 10.08.2016 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त अनुमोदित धनराशि रू0 33.83 लाख में कार्यमदों हेतु 30.447 लाख तथा फ्लेक्सी फण्ड हेतु रू0 3.382 लाख सम्मिलित है।

2- भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत फ्लेक्सी फण्ड हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 3.382 लाख का उपयोग राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर किये जाने हेतु रू0 3.38 लाख की स्वीकृति जारी किये जाने का प्रस्ताव शासन को इस कार्यालय की पत्र संख्या-पी-980/36-टी-27(प्रो0एली0), दिनांक 08.03.2017 द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में शासकीय पत्र संख्या-430/चौदह-4-2017-522/2014टीसी, दिनांक 30.03.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा रू0 3.38 लाख की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

3- अत: शासन द्वारा फ्लेक्सी फण्ड हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3.38 लाख का आवंटन आपके अधीनस्थ निम्नलिखित वन प्रभागों के उपयोग हेतु निम्न प्रकार किया जाता है:-

(रू0 हजार में)

| लेखाशीर्षक | सहारनपुर वृत्त | मुरादाबाद वृत्त | | योग |
|---|---|---|---|---|
| | शिवालिक | नजीबाबाद | सा0वा0 बिजनौर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अनुदान संख्या-60 | | | | |
| पूंजी लेखा- | | | | |
| 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत- | | | | |
| 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव | | | | |
| 110-वन्य जीव- | | | | |
| 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- | | | | |
| 0103-प्रोजेक्ट एलीफैन्ट (सी0सी0एल0 प्रणाली) | | | | |
| 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 72.8 | 150.4 | 114.8 | 338.0 |
| योग: - | 72.8 | 150.4 | 114.8 | 338.0 |

—2

4- उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- "प्रोजेक्ट एलीफैन्ट" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा फ्लेक्सी फण्ड हेतु अनुमोदित तथा अवमुक्त केन्द्रीय सहायता की सीमा में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित संलग्नक-1 में दर्शाये गये कार्यमदों पर ही नियमानुसार किया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार, उ0प्र0 शासन एवं इस कार्यालय को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सोलर लाइट आदि का तीन वर्षों तक अनुरक्षण कार्य भी उक्त आवंटित धनराशि से किया जायेगा।

6- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नही देता, अतः जिस व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26.10.2009 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी दशा मे इस धनराशि का उपयोग नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए नही किया जाय।

8- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

9- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

10- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

11- उक्त धनराशि से कराये गये कार्यो का स्थलवार विवरण, व्यय व नपत इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। व्यय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सूचना आयोजनागत पक्ष की अन्य सूचनाओं के साथ निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय की वित्तीय प्रगति प्रपत्र बी0एम0-13 भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

<u>संलग्नक:यथोपरि।</u>

भवदीय,

(एस0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>संख्या पी-1112 (1)/36-टी-27(प्रो0एली0) दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या-430/चौदह-4-2017-522/2014टीसी, दिनांक 30.03.2017 की छायाप्रति तथा संलग्नक-1 सहित इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्तर-3 के अनुसार आवंटित बजट की साख-सीमा सम्बन्धित वनाधिकारियों के पक्ष में जारी करने की कृपा करें।

<u>संलग्नक:यथोपरि।</u>

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>संख्या पी-1112 (2)/36-टी-27(प्रो0एली0) दिनांकित</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासकीय पत्र संख्या-430/चौदह-4-2017-522/2014टीसी, दिनांक 30.03.2017 की छायाप्रति तथा संलग्नक-1 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।
7. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।
8. अभिसूचना सेल, कार्यालय-मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>संख्या पी-1112 (3)/36-टी-27(प्रो0एली0) दिनांकित</u>

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या-430/चौदह-4-2017-522/2014टीसी, दिनांक 30.03.2017 के क्रम में संलग्नक-1 की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

# संलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-"प्रोजेक्ट एलीफैन्ट" योजना के अन्तर्गत फ्लेक्सी फण्ड हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 3.38 लाख के सापेक्ष निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य।

| क्र0 सं0 | कार्यमद | भौतिक | वित्तीय (रू0 लाख में) | बजट का मानकमद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | क- बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद हेतु- | | | |
| 1- | वन विश्राम भवन जफराबाद हेतु 2 लाईट वाले सोलर पैनल का क्रय (सं0) | 2 | 0.600 | 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र |
| 2- | रेंज कार्यालय साहनपुर हेतु सोलर पैनल का क्रय (सं0) | 2 | 0.600 | 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र |
| 3- | रेंज कार्यालय साहूबाला हेतु सोलर पैनल का क्रय (सं0) | 1 | 0.152 | 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र |
| 4 | रेंज कार्यालय बढापुर हेतु सोलर पैनल का क्रय (सं0) | 1 | 0.152 | 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र |
| | योग-क-(वित्तीय) | | 1.504 | |
| | ख- शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर हेतु- | | | |
| 1- | वन विश्राम भवन शाकुम्भरी हेतु इन्वर्टर का क्रय (सं0) | 1 | 0.178 | 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र |
| 2- | वन विश्राम भवन बादशाहीबाग हेतु 5 हार्सपावर के जनरेटर का क्रय (सं0) | 1 | 0.550 | 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र |
| | योग-ख-(वित्तीय) | | 0.728 | |
| | ग- सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर हेतु- | | | |
| 1- | सोलर पावर पैक का क्रय (सं0) | 2 | 0.700 | 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र |
| 2- | इन्वर्टर विद डबल बैटरी का क्रय (सं0) | 1 | 0.228 | 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र |
| 3- | सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय (सं0) | 1 | 0.220 | 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र |
| | योग-ग-(वित्तीय) | | 1.148 | |
| | कुल योग- (वित्तीय) | | 3.38 | |

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

D:\MAHENDRA\A.K.PANDEY\PROJECT ELEPHANT 2016-17.DOCX

संख्या-430/चौदह-4-2017-522/2014टीसी

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2523/36-T-27
30/3/2017

सेवा में,

30 MAR 2017

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4** **लखनऊ : दिनांक, 30 मार्च, 2017**

विषय: वित्तीय वर्ष-2016-17 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित " प्रोजेक्ट एलीफैन्ट" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा फ्लेक्सी फण्ड हेतु अनुमोदित तथा अवमुक्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगार्थ रू0 3.38 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु मात्राकृत धनराशि को फ्लेक्सी फण्ड के रूप में निरूपित कर उपयोग किये जाने वाली योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.) की बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-"प्रोजेक्ट एलीफैन्ट" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-1-15/2009-पी0ई0, दिनांक 16-06-2016 तथा पत्र संख्या-1-15/2009-पी0ई0, दिनांक 10-08-2016 द्वारा फ्लेक्सी फण्ड हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 3.382 लाख का उपयोग संलग्न सूची में अंकित कार्यमदों पर किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया है।

2- भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 16.06.2016 द्वारा विषयगत योजना के अन्तर्गत रू0 33.83 लाख की धनराशि 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में अनुमोदित करके अनुमन्य केन्द्रीय सहायता रू0 20.298 लाख के सापेक्ष विगत वर्ष की अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता रू0 6.124 लाख को समायोजित (पुनर्वैध) करते हुए रू0 14.174 लाख की केन्द्रीय सहायता अवमुक्त की गई है। इस प्रकार कुल (6.124+14.174)=रू0 20.298 लाख की केन्द्रीय सहायता व्यय हेतु उपलब्ध हो गई है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.08.2016 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त अनुमोदित धनराशि रू0 33.83 लाख में कार्यो हेतु रू0 30.447 लाख तथा फ्लेक्सी फण्ड हेतु रू0 3.382 लाख सम्मिलित है।

3- अत: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-980/36-टी-27(प्रो0एली0) दिनांक 08.03.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60-आयोजनागत- केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत "प्रोजेक्ट एलीफैन्ट" (सी.सी.एल प्रणाली) योजना हेतु रू0 3.38 लाख (रू0 तीन लाख अड़तीस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| लेखाशीर्षक | धनराशि (रू0 में) |
|---|---|
| अनुदान संख्या-60- | |
| पूंजी लेखा- | |
| 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत | |
| 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- | |
| 110-वन्य जीव- | |
| 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- | |
| 0103-प्रोजेक्ट एलीफैन्ट (सी0सी0एल0प्रणाली)- | |
| 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र- | 338000 |
| **योग:-** | **338000** |

**(रू0 तीन लाख अड़तीस हजार मात्र)**

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयीं मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

3- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

4- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

5- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

6- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सोलर लाइट आदि का तीन वर्षों तक अनुरक्षण कार्य भी स्वीकृत धनराशि से किया जायेगा।

9- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख किये जाने सीमा अवमुक्त- रहे।की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध

10- यह भी उल्लेखनीय है कि फलेक्सी फण्ड हेतु मात्राकृत धनराशि का व्यय वन अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4164/14-4-2014-500(51)/2014 दिनांक 09.12.2014 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-193/14-4-2015-500(51)/2014 दिनांक 05.02.2015 द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) से योजनाओं की स्वीकृति के उपरान्त सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र दिनांक 08.03.2017 में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016 231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

**<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>**

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

**<u>संख्या- 430(1)/चौदह-4-2017-522/2014टीसी तददिनॉक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी,उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ
6- प्रभागीय वनाधिकारी, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग
10- नियोजन अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

## संलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-"प्रोजेक्ट एलीफैन्ट" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा फ्लेक्सी फण्ड हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) द्वारा अनुमोदित कार्यों का विवरण

| क्र0 सं0 | कार्यमद | भौतिक | वित्तीय (रू0 लाख में) | बजट का मानकमद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | क- बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद हेतु- | | | |
| 1- | वन विश्राम भवन जफराबाद हेतु 2 लाईट वाले सोलर पैनल का क्रय (सं0) | 2 | 0.600 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र |
| 2- | रेंज कार्यालय साहनपुर हेतु सोलर पैनल का क्रय (सं0) | 2 | 0.600 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र |
| 3- | रेंज कार्यालय साहूबाला हेतु सोलर पैनल का क्रय (सं0) | 1 | 0.153 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र |
| 4 | रेंज कार्यालय बढापुर हेतु सोलर पैनल का क्रय (सं0) | 1 | 0.153 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र |
| | योग-क-(वित्तीय) | | 1.506 | |
| | ख- शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर हेतु- | | | |
| 1- | वन विश्राम भवन शाकुम्भरी हेतु इन्वर्टर का क्रय (सं0) | 1 | 0.178 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र |
| 2- | वन विश्राम भवन बादशाहीबाग हेतु 5 हार्सपावर के जनरेटर का क्रय (सं0) | 1 | 0.550 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र |
| | योग-ख-(वित्तीय) | | 0.728 | |
| | ग- सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर हेतु- | | | |
| 1- | सोलर पावर पैक का क्रय (सं0) | 2 | 0.700 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र |
| 2- | इन्वर्टर विद डबल बैटरी का क्रय (सं0) | 1 | 0.228 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र |
| 3- | सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय (सं0) | 1 | 0.220 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र |
| | योग-ग-(वित्तीय) | | 1.148 | |
| | कुल योग- (वित्तीय) | | 3.382 | |